न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी: श्रीमती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 64/2013

1. वीरपाल कौर उर्फ सिमरनजीत कौर पुत्री गुरचरण सिंह पत्नी रिछपाल सिंह जाति जटसिख निवासी प्रेमनगर, कोटकपूरा तहसील कोटकपूरा जिला फिरोजपुर (पंजाब)।

--प्रार्थी--

बनाम

1. गुरचरण सिंह पुत्र जसवंत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर।
2. परमजीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर।
3. अमरजीत सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर।
4. राज्य सरकार जरिये राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

--अप्रार्थीगण--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 28/2/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 20 की जमाबंदी सम्वत 2066 ता 69 के खाता संख्या 34/36 के मु0 न0 3 के किला न0 1 ता 25 प्रत्येक 53 है0 नहरी कुल 6.325 है0, मु0 न0 16 के किला न0 10/1 के 0.013 है0, 21 के 0.253 है0 कुल 66 है0 नहरी व मु0 न0 52 के किला न0 5 के 0.253 है0, 6 के 0.253 है0, 15/2 के 0.127 है0 0.633 है0 व मु0 न0 57 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 20, 21 प्रत्येक 0.253 है0 कुल 2.024 है0 ी कुल योग 9.248 है0 नहरी भूमि मय गैरमुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख मे अंकित है। उक्त रकबा ीया के दादा जसवंत सिंह पुत्र सोहन सिंह के नाम राजस्व अभिलेख मे अंकित था। प्रार्थीया के दादा जसवंत ह का देहांत दिनांक 09.05.2012 को हो चुका है। उसकी पत्नी जरनैल कौर का भी देहान्त हो चुका है। वन्त सिह की वंशावली निम्न प्रकार से है :-

जसवन्त सिह (फौत)

जरनैल कौर (पत्नी) फौत

रचरण सिह	परमजीत सिह	रिछपाल कौर उर्फ लखविन्द्र कौर
त्र (प्रार्थीया का पिता)	(पुत्र)	(पुत्री)

जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके नाम दर्ज 9.248 है0 नहरी भूमि का विरास्तन नामांतरण जसवंत सिंह के वारिसान के नाम जरिये नामांतरण संख्या 382 दर्ज हो गया। प्रार्थीया की दादी जरनैल कौर का हांत दादा जसवंत सिंह से ही पहले हो चुका था लेकिन फिर भी त्रुटि पूर्वक रिति से दादी को भी हिस्सेदार दर्शाया गया जो उत्तरवर्ती नामांतरण मे जरनैल कौर का हिस्सा शेष 3 वारिसों के नाम बहिस्सा बराबर कर दिया गया। प्रार्थीया के दादा जसवंत सिंह के हिस्सा की कुल 9.248 है0 भूमि मे से प्रत्येक को 1/3-1/3 हिस्सा विरासत मे प्राप्त हुई। इस प्रकार प्रार्थीया के पिता गुरचरण सिह को भी 1/3 हिस्सा अर्थात 3.082 हैक्टर नहरी भूमि विरास्तन मे प्राप्त हुई थी। इसलिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थीया उक्त भूमि मे से अपने पिता व भाई के साथ 1/3 हिस्सा अर्थात 1.027 हैक्टर नहरी भूमि का हकदार है व इस आशय की घोषणा करवा पाने की अधिकारी है तथा प्रार्थीया का पिता भी इस भूमि मे कुल 1.027 है0 भूमि का हकदार है। प्रार्थीया की भुआ रिछपाल कौर उर्फ लखविन्द्र कौर ने अपने हिस्सा की दस्तबरदारी अपने दोनो भाईयों गुरचरण सिंह व परमजीत सिंह को बहिस्सा बराबर कर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री मुक्तसर)

Scanned by CamScanner

जिससे दोनो भाईयो को 1.541-1.541 है0 भूमि प्राप्त हुई। इस प्रकार प्रार्थीया का पिता कानूनन
2 है0 के 1/3 हिस्सा 1.027 है0 व बहन से आई 1.541 है0 भूमि कुल 2.568 है0 भूमि का ही
हुआ। प्रार्थीया के पिता ने अपनी 2.568 है0 नहरी भूमि मे से 1.208 है0 नहरी भूमि अपने पुत्र
जीत सिंह को उपहार पत्र के जरिये दिनांक 05.09.2012 को दान कर दी। जिसका नामान्तरण
390 अमरजीत सिंह के नाम दर्ज हो गया। अपने लडके को 1.208 हैक्टर भूमि दान देने के
ु प्रार्थीया के पिता गुरचरण सिह के पास 1.360 हैक्टर नहरी भूमि शेष रही। इसके बावजूद अप्रार्थी
1 ने अप्रार्थी संख्या 3 के साथ षडयन्त्र कर प्रार्थीया का हिस्सा हडपने के आशय से वादगत भूमि
चरण सिह के नाम दर्ज 4.624 हैक्टर कृषि भूमि मे गुरचरण सिह व अमरजीत सिह का हिस्सा होने
थ्या कथन करते हुये शपथ पत्र पेश कर 3.416 हैक्टर रकबा अप्रार्थी संख्या 3 के नाम दर्ज करवा
जिसमे प्रार्थीया के हिस्से की 1.027 हैक्टर भूमि भी शामिल थी। इस तमाम प्रक्रिया मे अप्रार्थीगण ने
प्रार्थीया को इस भूमि का हिस्सेदार माना और न ही अपना वारिस माना अप्रार्थी संख्या 1 मात्र 1.
हैक्टर भूमि का अन्तरित करने का हकदार था। इससे अधिक भूमि का अन्तरण प्रारम्भतय शून्य एवं
या के हितो पर निष्प्रभावी है एवं निर्णय दिनांक 06.09.2012 को प्रार्थीया शून्य घोषित करवाने की
कारी है। प्रार्थीया को इस समस्त कार्यवाही की जानकारी उस समय हुई जब उसने अपने हिस्से की
का कब्जा अप्रार्थी संख्या 1 व 3 को सौपने बाबत कहा तो अप्रार्थीगण के द्वारा कब्जा देने से इन्कार
दिया। यदि वादगत भूमि मे अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के हिस्से की भूमि का किसी अन्य को अन्तरण
दिया तो प्रार्थीया को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से
किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण को ऐसा किये जाने से रोका जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।
दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक मे पाया जाता है। राईट व टाईटल प्रार्थी के पक्ष
नना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर निवेदन है कि मूल वाद
निर्णय तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि चक 20 एच की जमाबंदी सम्वत
6 ता 69 के खाता संख्या 34/36 के मु0 नं0 3,16,52,15/2,5 की कुल 9.248 हैक्टर नहरी भूमि
गैरमुमकिन रास्ता को मूल वाद के निर्णय तक अन्तरित नही करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये
।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया
।

अप्रार्थीगण की ओर से श्री जे.एस चिम्मा उपस्थित आये एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।
ब प्रार्थना पत्र के अनुसार मद संख्या 1 अस्वीकार है। मद संख्या 2 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। मद
या 3 मे दर्ज जसवन्त सिह का हिस्सा व जसवन्त सिह की वंशावली स्वीकार है। शेष अस्वीकार है।
वन्त सिह प्रार्थीया का दादा व अप्रार्थी संख्या 1 गुरचरण सिह प्रार्थीया के पिता नही लगते है। गुरचरण
की वीरपाल कौर के नाम की एक पुत्री थी जो 15-16 वर्ष पूर्व मानसिक दुर्बलता के कारण घर
कर चली गई थी। जिसका काफी तलाश करने पर भी कोई पता नही लगा जिससे यह विश्वास हो
कि वीरपाल कौर की मृत्यु हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 1 की पुत्री का नाम वीरपाल कौर उर्फ
मरनजीत कौर नही था और न ही उसकी शादी रिछपाल सिह निवासी प्रेमनगर कोटकपूरा से की थी।
र्थीया वीरपाल कौर कोई बहुरूपिया है जिसने अप्रार्थी संख्या 1 की पुत्री बनकर अप्रार्थी संख्या 1 की
मे हडपने के लिये गलत व झूठे तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। मद संख्या 4 अस्वीकार
नामान्तरण संख्या 382 व 383 कानून व नियम के अनुसार सही दर्ज हुये है। मद संख्या 5 इस हद
क स्वीकार है कि जसवन्त सिह के हिस्सा की कुल 9.248 हैक्टर भूमि गुरचरण सिह, परमजीत सिह,
ुपालकौर को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई। मद संख्या 6 अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 गुरचरण सिह
थी का पिता नही है और न ही प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 व पुत्रो के साथ 1/3 हिस्सा प्राप्त करने की
कदार है। मद संख्या 7 इस हद तक स्वीकार है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 जरिये दस्तबरदारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

1.541 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई शेष मद अस्वीकार है। मद संख्या 8 इस हद तक स्वीकार है कि गुरचरण सिह ने 1.208 हैक्टर नहरी भूमि अपने लडके अप्रार्थी संख्या 3 अमरजीत सिह को दान है। शेष मद अस्वीकार है। मद संख्या 9 अस्वीकार है। प्रार्थीया किसी तरह की विरास्तन भूमि रने की अधिकारी नही है। अप्रार्थी संख्या 1 ने कानून के अनुसार परिवारिक समझौता एवं शपथ सीलदार श्रीकरणपुर के समक्ष पेश किये जिसकी जांच कर तहसीलदार श्रीकरणपुर ने अपने निर्णय 06.09.2013 पारित किया। मद संख्या 10 अस्वीकार है। प्रथम दृष्टय मामला, सुविधा का सतुलन ट एण्ड टाईटल प्रार्थीया के पक्ष मे बनना नही पाया जाता है अप्रार्थीगण के पक्ष मे बनना पाया । जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मय खर्चा किया जावे। जवाब स्टेट पेश नही होने पर बंद किया गया।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी के द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते र्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी के द्वारा सूची अनुसार दस्तावेज पेश किये। वकील के द्वारा अपनी बहस मे जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि की निगरानी ऐ.डी.जे कोर्ट से खारिज हो चुकी है। पत्रावली मे कोई दस्तावेज पेश नही किया है। पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया के द्वारा चक 20 एच की दी सम्वत 2066 ता 69 के खाता संख्या 34/60 के मु0 नं. 3,16,52,57 की कुल 9.248 हैक्टर भूमि मय गैरमुमकिन रास्ता मे प्रतिवादी संख्या 1 को विरास्त मे प्राप्त 3.082 हैक्टर नहरी भूमि मे 027 हैक्टर नहरी भूमि के खातेदार घोषित होने एवं इस 1.027 हैक्टर भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 3 को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करने एवं इस भूमि के मध्यवर्ती अभिलाभ के रूप मे 00/- रूपये प्रतिवर्ष प्रतिवादी संख्या 1 व 3 प्राप्त करने बाबत निवेदन करते हुये प्रार्थना पत्र र्गत धारा 212 आरटीए पेश कर इस भूमि बाबत मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध ई निषेधाज्ञा हेतू निवेदन किया है। धारा 212 आरटीए के तीनो बिन्दूओ प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सतुलन एवं राईट एण्ड टाईटल पर विचार किया गया। अप्रार्थी के द्वारा अपने जवाब मे यह जाहिर है कि वीरपाल कौर के नाम की एक पुत्री थी, परन्तु प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 की पुत्री नही है। या अप्रार्थी संख्या 1 की पुत्री है या नही, यह तथ्य मूल वाद मे साक्ष्य से तय होना है। इस कारण ाल कौर के हिस्सा तक की भूमि को संरक्षित रखा जाना आवश्यक है इसलिये प्रथम दृष्टया मामला, धा का सतुलन एवं राईट एण्ड टाईटल प्रार्थीया के पक्ष मे बनना पाया जाता है। प्रार्थीया का प्रार्थना स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थीया का र्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे दिनांक 27.05.2013 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल द के निर्णय तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 28/2/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner